ऑन लाईन नं. RCMS 2023/84

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 09/2023

1. बलदेव सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति जटसिख निवासी 36 आर.बी.ए. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. रणवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 36 आरबीए तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04.02.2023 न्यायालय तहसीलदार पदमपुर अनवानी रणवीर सिंह बनाम बलदेव सिंह प्रकरण संख्या 02/2022 जिसकी रूह में चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा रास्ते से बेदखल करने के आदेश दिये गये है को निरस्त करवाने हेतू।

उपस्थित :

1.श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: दिनांक :–16.12.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि:–

1. यह कि मातहत न्यायालय का आदेश दिनांक 04.02.2023 न्यायालय तहसीलदार राजस्व पदमपुर खिलाफ कानून वाकेयात व इंसाफ न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील है।
2. यह कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 36 आरबीए तहसील पदमपुर का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के पिता गुरदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह के नाम से चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 37 में 5 बीघा नहरी भूमि कब्जानुसार किला नम्बर 11/0.127, 12/0.126, 13/0.127, 14/0.126, 15/0.127, 16/0.126, 17/0.127, 18/0.126, 19/0.127, 20/0.127 हैक्टर कुल 5 बीघा नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए रास्ता नहीं है तथा अन्य कोई काश्तकार अपने खेत से जाने नहीं देता है तथा प्रार्थी को उक्त चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 36 में आम रास्ता खुलवाया जावें, जिससे प्रार्थी अपने खेत में जा सके तथा अन्य काश्तकारों को भी असुविधा न हो, क्योंकि बलदेव सिंह पुत्र बाघ सिंह के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में आम रास्ता है जो कि बलदेव सिंह ने कब्जा कर रखा है तथा आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर हल्का पटवारी 36 आरबीए को रिपोर्ट हेतू लिखा गया। अप्रार्थी बलदेव सिंह ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया कि प्रार्थी रणवीर सिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी रणवीर सिंह के पिता गुरदेव सिंह के नाम से चक 36 आरबीए के खाता संख्या 4 के मुरब्बा नम्बर 14,37 की कुल 10.120 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से 1.286 हैक्टर रकबा मुश्तर्का खाते में दर्ज है, किलेवाईज दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी रणवीर सिंह की कब्जकाश्त मुरब्बा नम्बर 37 में नहीं है। रंजिशवंश उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आवश्यकता नहीं है तथा रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में भूलवंश दर्ज हुआ है क्योंकि उक्त रास्ता कभी चालू नहीं रहा है ना ही किसी को पता था कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता दर्ज है। प्रार्थी की भूमि मुश्तर्का खाते की है और मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 प्रत्येक मुरब्बे के किला नम्बर 1,10,11,20,21। में रास्ता चल रहा है तथा मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता मौके पर चल रहा है, जो मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 में जाता है यदि प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 37 में है तो प्रार्थी उक्त रास्ते से अपनी भूमि में प्रवेश कर सकता है, जवाब में आगे कथन किया कि चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35,36 प्रत्येक मुरब्बे के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है, उक्त सभी मुरब्बों में रास्ता शुरू से ही बन्द है, कभी चालू नहीं रहा है अब प्रार्थी द्वारा केवल मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 का रास्ता ही खुलवाना चाहा है इससे साफ जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा रंजिशवंश उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा मौके पर मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में फसल खड़ी है तथा अन्य बीघों में भी फसल खड़ी है इसलिए पैमाइश नहीं करवाई जा सकती है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4,5,15,16,25 प्रत्येक सालम में बनवान जगजीत सिंह बनाम बलदेव सिंह प्रकरण संख्या 156/22 में स्थगन जारी है, जो मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4,5,15,16,25 प्रत्येंक सालम भूमि पर है, हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट व नक्शे के अनुसार मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35,36 प्रत्येक के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो मौके पर बंद है। रिपोर्ट के अनुसार खाता संख्या 4 के मुरब्बा नम्बर 14,27/10.120 हैक्टर संयुक्त खाता में गुरदेव सिह पुत्र स्वर्ण सिंह के नाम से 1.286 हैक्टर रकबा दर्ज है जिसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 04.02.2023 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया कि अप्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र बाघ सिंह को अतिक्रमी घोषित किया जाता है कि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ते से बेदखल किया जावें, अपीलांट इस आदेश को निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

3. यह कि मातहत न्यायालय का आदेश में समस्त तथ्यों की अनदेखी कर पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि धारा 251 राज0का.अधि. के तहत केवल खातेदार ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है जबकि प्रार्थी के नाम से मुरब्बा नम्बर 37 में कोई भूमि दर्ज नही है। प्रार्थी के पिता के नाम से भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए मातहत न्यायालय को आदेश विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि प्रार्थी रणवीर सिंह के पिता गुरदेव सिंह के नाम से चक 36 आरबीए के खाता संख्या 4 के मुरब्बा नम्बर 14,37 की कुल 10.120 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

1.286 हैक्टर रकबा मुश्तर्का खाते में दर्ज है किलेवाईज दर्ज नहीं है शेष काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा प्रार्थी रणवीर सिंह की कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 37 में नहीं है ऐसी स्थिति में मातहत न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तौर पर स्वीकार किया गया है।

6. यह कि धारा 251 राज0 का0 अधि0 के तहत केवल चालू शुदा रास्ता बंद करने पर उसे खुलवाया जा सकता है, लेकिन जो रास्ता कभी चला नहीं उसे खुलवाने का प्रावधान नहीं है।

7. यह कि पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को कोई सूचना नही दी तथा प्रार्थी से मिलकर रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि गलत है, जबकि पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है, इस प्रकार पटवारी रिपोर्ट एकतरफा है।

8. यह कि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 प्रत्येक के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में रास्ता चल रहा है, जबकि मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूर है, परन्तु रास्ता बंद है ऐसी स्थिति में जब रास्ता इन्ही मुरब्बो के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में बंद है तो इस रास्ते को जमाबंदी में मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में शिफट किया जाना चाहिए था तथा किला नम्बर 5,6,15,16,25 में रास्ता डिलिट किया जाना चाहिए था।

9. यह कि उक्त प्रकरण जमाबंदी में दुरूस्ती का है, मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35,36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 से रास्ता किला नम्बर 01,10,11,20,21 में किया जाना चाहिये जो नहीं किया गया है। मातहत न्यायालय एक मुरब्बा में दो–दो रास्ते चालू करवाने की कोशिश में है जो कि कतई गलत है।

10. यह कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पास पहले से ही चालू शुदा रास्ता है। मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 प्रत्येक के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में रास्ता चल रहा है तथा मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता मौके पर चल रहा है, जो मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 में जाता है यदि प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 37 में है तो प्रार्थी उक्त रास्ते से अपनी भूमि में प्रवेश कर सकता है, ऐसी स्थिति में मातहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में गलती की है।

11. यह कि तहसीलदार द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया है और ना ही कोई साक्ष्य अभिलिखित किये है, इस प्रकार बिना कानूनी प्रकिया की पालना किये आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

12. यह कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4,5,15,16,25 प्रत्येक सालम में बअनवान जगजीत सिह बनाम बलदेव सिंह प्रकरण संख्या 156/22 में स्थगन जारी है, जो मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4,5,15,16,25 प्रत्येक सालम भूमि पर है। उपखण्ड अधिकारी के स्थगन की उल्लघंना में तहसीलदार द्वारा गलत तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।

13. यह कि प्रथम 45 दिनों तक ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकारिता है इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बिना क्षेत्राधिकारित का है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार जाकर आदेश दिनांक 04.02.2023 न्यायालय तहसीलदार राजस्व पदमपुर अनवानी रणवीर सिंह बनाम बलदेव सिंह प्रकरण संख्या 02/2022 को निरस्त किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस निम्न प्रकार से है कि :–

संक्षेप में तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट रणवीर सिंह के द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि चक 36 आरबीए के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में मंजूरशुदा रास्ता को खुलवाने बाबत दिया जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार पदमपुर को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जिस पर तहसीलदार पदमपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दर्ज किया गया। अप्रार्थी अपीलांट को नोटिस जारी किए। अपीलांट हाजिर अदालत आया और उसके व उसके भाई के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि मुरब्बा नम्बर 36 के अलावा मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 में रास्ता जो बंद पडद्या है जब तक उसको नहीं खुलवाया जाता तब तक उक्त मुरब्बा नम्बर 36 में दर्ज रास्ता को नहीं खुलवाया जा सकता। पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गई, दोनों पक्षों की बहस सुनकर आधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी अपीलांट को बेदखल कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में अप्रार्थी अपीलांट के द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई जो निम्न आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है:–

1. यह कि अपीलांट के द्वारा अपने मीमों में यह तथ्य दर्ज किया गया कि मु.न. 37 में प्रार्थी रेस्पोडेंट के नाम कोई जमीन नहीं है इसलिए उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि राजस्व रिकोर्ड में रणवीर सिंह के नाम मु.न. 37 में जमीन दर्ज है जिसकी जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है तथा अपीलांट के द्वारा यह कथन भी दर्ज किया गया है कि रेस्पोडेंट ने अपनी भूमि विक्रय कर दी है, जबकि रेस्पोडेंट के द्वारा अपनी भूमि का कुछ हिस्सा ही विक्रय किया है बाकी का रकबा रेस्पोडेंट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस कारण मिथ्या तथ्यों पर दर्ज अपील खारिज किए जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलांट के द्वारा अपनी अपील में दूसरा तथ्य यह उठाया गया कि चक 36 आरबीए के खाता सं. 34,37 में कुल 10.120 है. रकबा दर्ज है जिसमें सहकाश्तकार और हैं जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जबकि कानूनन व इंसाफन अपीलांट के कथना अनुसार व उसकी सुविधानुसार सभी सहकाश्तकारान को पक्षकारान बनाया जाना आवश्यक व जरूरी नहीं है तथा ना ही अतिकर्मी इस आधार पर अतिक्रमण पर काबिज नहीं रह सकता कि सतस्त सहकाश्तकारान पक्षकार नहीं है ना ही कानून उसे इस बात की इजाजत देता है। मु.न.36 के किला न. 5,6,15,16,25 जिस रास्ता के रकबा पर अपीलांट ने अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर रखा है वह उसके अकेले के नाम है इस कारण मु.न. 37 के अन्य सहकाश्तकारान को पक्षकार बनाया जाना अवश्यक व जरूरी नहीं है। अपीलांट येन–केन मिथ्या तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण काबिज नहीं रह सकता है। इस कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।
3. यह कि अपीलांट के द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य दर्ज किया है कि केवल चालूशुदा रास्ता बंद करने पर उसे खुलवाया जा सकता है लेकिन रास्ता कभी चला ही नहीं उसे खुलवाये जाने का प्रावधान नहीं है। यह तथ्य भी विपरित कानून है तथा ना ही

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

इस आधार पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं कि वह रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कायम रख सके, महज अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपीलांट ने यह मिथ्या कथन दर्ज किया है ताकि येन–केन रास्ता पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सके, मु.न. 36 के किला नं. 5,6,15,16,25 में कुछ समय पूर्व ही प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई थी। इस कारण अपीलांट को बेदखल कर रास्ता खुलवाया जाना आवश्यक व जरूरी है। इस आधार पर अपीलांट अपील खारिज किए जाने योग्य है।

4. यह कि अपीलांट के द्वारा अपील में यह भी तथ्य दर्ज किया गया है कि मु.न. 27,30,32,35 प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 1,10,11,20,21 में रास्ता मौके पर चल रहा है जो कि मु.न. 37 के किला नं. 1 में जाता है। इस कारण रेस्पोडेंट को इस रास्ता की आवश्यकता नहीं है। जबकि रेस्पोडेंट का रकबा मु.न. 37 के किला न. 11 ता 20 में पड़ता है जिसमें वह इस मंजूरशुदा रास्ता के अलावा किसी भी प्रकार से मु.न.35 से मु.न. 37 में प्रवेश नहीं कर सकता है तथा ना ही अपीलांट इस आधार पर मंजूरशुदा रास्ता बंद कर सकता है कि व अन्य सहकाश्तकार के रकबा में से अपने रकबा में प्रवेश कर सकता है। इस कारण अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. यह कि अपीलांट के द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य दर्ज किया गया है कि मंजूरशुदा बंद रास्ता को खुलवाने के लिए पहले ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकारिता है और उसके द्वारा 45 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करने पर तहसीलदार को अधिकारिता है जबकि यह तथ्य भी मिथ्या दर्ज किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा अपने गजट नोटिफिकेशन में 2009 से उक्त प्रावधान खत्म कर दिए गए थे जिसके बाद ग्राम पंचायत को बंद रास्ता खुलवाने की अधिकारिता नहीं रही, इस कारण इसी आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है इस बारे में नजीन निम्न है–

आर आर डी 2018 पेज 92

6. यह कि अपीलांट के द्वारा अपने मीमो ऑफ अपील में यह तथ्य दर्ज किया गया है कि मु.न. 36 के किला नं. 4,5,15,16,25 के रकबा की बाबत एक अन्य प्रकरण जगजीत सिंह बनाम बलदेवसिंह उपाखण्ड अधिकारी, पदमपुर के यहां विचाराधीन है, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है इस कारण उक्त रकबा खुलवाया नहीं जा सकता। जबकि उपखण्ड अधिकारी के यहां जिस प्रकरण की बाबत वह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कह रहे हैं उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा रास्ता क रकबा को छोड़कर जारी की हुई है। उक्त दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में इन किला विशेष में 0.228 है. 0.227 है. रकबा दर्ज है इस आधार पर भी अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व अपने भाई रामसिंह के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें वह मु.न. 27,30,32,35,36 में बंद पड़े रास्ता को खोलने की कार्यवाही एक साथ खोलने का कथन करता है जबकि मुझ रेस्पोडेंट के द्वारा मात्र मु. न. 36 के रास्ता को खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि उक्त मुरब्बों के प्रत्येक किला नं. 1,10,11,20,21 में रास्ता चल रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 13.12.2022 के द्वारा मु.न. 36 के किला नं. 5,6,15/1 में अपीलांट के भाई रामसिंह पुत्र बाघसिंह के द्वारा अतिक्रमण कर काश्त दर्शाई गई है तथा किला नं. 15/2, 16/25 पर रास्ता की भूमि पर अपीलांट का कब्जा दर्शाया गया है जबकि अपीलांट के भाई रामसिंह के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील पेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नहीं की है। इस कारण अपीलांट कि.न. 5,6,15/1 पर अतिक्रमण को चुनौती देने का अधिकारी नहीं है। इस कारण अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. यह कि रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा अपने फर्द मौका दिनांक 19.10.2022 में स्पष्ट रूप से यह कथन दर्ज किया गया है कि मु.न. 37 के किला नं. 11 से 20 प्रत्येक में 0.126 है. व 0.127 है. कुल 1.265 है. रकबा पर प्रार्थी काबिज है तथा मु.न. 36 के किला नं. 5,6,15,16,25 पर बलदेव सिंह व उसका भाई रामसिंह काबिज है। अतिक्रमी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मंजूरशुदा रास्ता पर जबरन अतिक्रमण कर सके, अपीलांट के द्वारा मिथ्या कथनों व अपनी राजनैतिक पहुंच के कारण व मंजूरशुदा रास्ता पर अतिक्रमण कर बंद नहीं कर सकता है। इस कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे। अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व मुझ रेस्पोडेंट के पक्ष में हो प्रदान की जावे। श्रीमान् जी की कृपा होगी।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि मन अपीलांट द्वारा तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर द्वारा पारित विधि विरूद्व आदेश दिनांक 04.02.2023 अनवानी रणवीर सिंह बनाम बलदेव सिंह प्रकरण संख्या 02/2022 से व्यथित होकर उक्त अपील श्रीमान अदालत के समक्ष दायर की गयी है। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को चक 36 आर.बी.ए. के मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है।
2. यह कि जिस मुरब्बा नम्बर 37 के लिए रास्ता चालू करवाया जा रहा है उक्त भूमि मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 प्रत्येक के किला नम्बर 01,10,11,20,21 में रास्ता चल रहा है तथा मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 तक जाता है।
3. यह कि उक्त विवादित भूमि मुश्तर्का खाता की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र मन अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी खातेदार हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं न ही सुनकर निर्णय पारित किया गया है।
4. यह कि चक 36 आर.बी.ए. के मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35,36 प्रत्येक मुरब्बे के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में राजस्व में रास्ता दर्ज है परन्तु कभी भी उक्त रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा है। परन्तु रेस्पोडेन्ट समस्त रास्ता को चालू न करवाकर रंजिशवंश मात्र अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 5,6,15,16,25 को खुलवाना चाहता है। इससे साबित है कि प्रार्थी द्वारा रंजिशवंश उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलकृत आदेश अपास्त करने योग्य है।
5. यह कि मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 5,6,15,16,25 में फसल खड़ी है जहां पर रास्ता चालू करवाया जाना उचित नहीं है क्योंकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व भूमि की पैमाईश नहीं की गयी और न ही स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि मुरब्बा नम्बर 37 हेतु अन्य रास्ता चालू है। इस स्थिति में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित नहीं किया जा सकता है एवं न ही अपीलांट की भूमि में रास्ता चालू करवाया जा सकता है।

7. यह कि रेस्पोडेन्ट के नाम से मुरब्बा नम्बर 37 में भूमि दर्ज नहीं है। उक्त भूमि उसके पिता के नाम से दर्ज है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। चक 36 आरबीए के खाता संख्या 4 मुरब्बा नम्बर 14,37 की 10.120 हैक्टर भूमि मे से 1.286 हैक्टर रकबा मुश्तर्का खाता में दर्ज है किलेवाईज दर्ज नहीं है। शेष काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी भूमि को अन्य को बैय कर दिया गया है एवं मुरब्बा नम्बर 37 का कब्जा भी रेस्पोडेन्ट के पास नहीं है।

8. यह कि धारा 251 आरटीए के तहत केवल प्रचलित रास्ता बंद करने पर उसे खुलवाया जा सकता है, लेकिन जो रास्ता कभी चला ही नहीं है उसे खुलवाने का प्रावधान नहीं है।

9. यह कि पटवारी रिपोर्ट करते समय अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गयी। प्रार्थी से मिलकर गलत रिपोर्ट की गयी एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित कर भारी भूल की गयी है।

10. यह कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 प्रत्येक के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में रास्ता चल रहा है जबकि मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में 2–2 बिस्वा रास्ता बंद है ऐसी सूरत में रास्ता इन्ही मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में रास्ता शिफट किया जाना चाहिये था एवं किला नम्बर 5,6,15,16,25 में रास्ता डिलीट किया जाना चाहिए था मगर अदालत मातहत द्वारा उक्त बिन्दुओं पर गौर न कर भारी कानूनी भूल की गयी है।

11. यह कि तहसीलदार द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया है और न ही साक्ष्य अभिलिखित की है। इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है जिस कारण भी अपीलकृत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

12. यह कि प्रथम 45 दिनों तक ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है जिस आधार पर भी अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2023 निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया गया। अनवानी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 04.02.2023 द्वारा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में गैर.मु. रास्ता खुलवाये जाने का जो आदेश पारित किया वह रेस्पोडेन्ट रणवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट रणवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह व अन्य द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को जरिये बैयनामा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 564 में पृष्ट संख्या 155 कम संख्या 202203277104118 द्वारा दिनांक 30.12.2022 को बेचान किया जा चुका है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा उक्त आदेश हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2022 के आधार पर दिनांक 04.02.2023 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को उक्त आदेश पारित करते समय यह ध्यान नहीं किया गया कि दिनांक 04.02.2023 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट रणवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह द्वारा जिस भूमि के लिए रास्ता खोला जा रहा है वह उसके द्वारा बेचान कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 04.02.2023 द्वारा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में गैर.मु. रास्ता खुलवाये जाने का जो आदेश पारित किया वह अपूर्ण आदेश पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा अनुसार उक्त गैर0 मुमकिन रास्ता मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 से 36 तक राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है जो पटवारी रिपोर्ट अनुसार बन्द है। उक्त गैर0 मुमकिन रास्ता मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 से 36 जिन काश्तकारों का कब्जा है वें भी अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2023 जो मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में गैर.मु. रास्ता खुलवाये जाने का पारित किया गया वह विधिसम्मत् है क्योंकि गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण फसल काश्त करना अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2023 बहाल रखा जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को निर्देशित किया जाता है कि मुरब्बा नम्बर 27,30,32,35 में जो गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसे खुलवाया जाकर पालना से इस न्यायालय को अवगत करवावें। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)